तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील में
	पीठासीन ... 28/11/24 16/01/25 पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय ... होने कारण दिनांक 16/01/25 व राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 19/03/25 नियत की जाती है। पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ ... में ... होने कारण दिनांक 19/3/25 व राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 9/5/25 नियत की जाती है। पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ व्यवस्था/ प्रोटोकॉल राजकार्य में व्यस्त होने कारण दिनांक 8/0/25 व राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 9/6/25 नियत की जाती है। 9/6/25 वकील वादी उप० बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली दिनांक 18/6/25 को पेश हो पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे/ व्यवस्था/ प्रोटोकॉल राजकार्य में व्यस्त होने कारण दिनांक 18/6/25 व राजस्व मुकदयात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/07/25 नियत की जाती है। 16/07/2025 वकील वादी उप० बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने वादपत्र के सम्बन्ध मे दोहराते हुए बताया गया है कि वादीया के पिता की पैतृक सम्पति की आराजी खसरा नम्बर 90/2, 561, 611/72, 666/604, 697/604, 104/604 मे वादी के पिता का हिस्सा 1/5 बनता है जिसमे वादी का 1/2 भाग अपनी पैतृक आराजीयात	

ीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मे बनता है। जिस प्रतिवादी संख्या-1 (वादी के पिता) उक्त भूमि को अपने जीवन काल मे ही बेचान करना चाहता है। पैतृक भूमि का बेचान करने का हक अधिकार प्रतिवादी संख्या-1 को प्राप्त नही है। अतः प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्सा 1/5 भाग मे से 1/2 भाग वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगणो को पाबन्द किया जावे की वादी की हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य। दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा द्वारिका उर्फ लाली की शादी काफी समय पूर्व हो चुकी है। शादी का सम्पूर्ण खर्चा वादीया के पिता द्वारा ~~बह~~ वहन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी में प्रतिवादी-1 खातेदार काश्तकार है। उसकी जमीन अपने जीवनकाल मे भरणपोषण के लिए जरूरी है। पिता के जीवनकाल में पुत्री का ~~हस~~ हक उचित नही है पाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीका के पिता प्रति० संख्या-1 अपने जीवनकाल मे विवादित आराजी रकबा खसरा नं० 90/2, 561, 611/92, 666/604, 697/604, 104/604 भूमि का बेचान नही करें। पत्रावली के जलथुमार सीन्न नम्बर से कम हो तख्त बाद तकमील दफ्तर में दाखिल हो।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)